

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,.....

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प .....

179

-:आदेश:-

दि. 18/3/19

प्रार्थी का "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी दियातरा व भूअनि दियातरा का रिपोर्ट तथा तहसीलदार कोलायत/ नायब तहसीलदार ..... की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम चक सैठिया तहसील कोलायत जिला बीकानेर की जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में खाता संख्या 113 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	चक सैठिया	113	$\frac{289}{143} - 5.93 \text{ ₹.}$	① $\frac{309}{143} - 5.45$ ② $\frac{310}{143} - 0.48$ <hr/> वित्ता २ - 5.93

(  
पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर  
कोलायत जिला-बीकानेर

दिनांक :-

179

प्रतिलिपि -

1. तहसीलदार(रा.) कोलायत को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर  
उपखण्ड अधिकारी  
कोलायत जिला-बीकानेर